भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3614
उत्तर 17 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

कृषि विभाग में तकनीकी स्टाफ की कमी
3614 श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण सीमांत एवं छोटे किसानों को अक्सर स्थानीय स्तर पर मृदा परीक्षण, प्रमाणित बीज, मिनी किट्स, फसल-चक्र, सिंचाई एवं कीटनाशकों के उपयोग, नई योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है;
(ख) क्या सरकार छोटे और मझोले किसानों को स्थानीय स्तर पर मृदा परीक्षण रिपोर्ट, फसल चक्र, उर्वरक, बीज, फसलों में कीटनाशकों का उपयोग, नई योजनाओं आदि के बारे में जानकारी देने के लिए विकास खंड स्तर पर आउटसोर्सिंग द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्टाफ से सुसज्जित मोबाइल वैन के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने में कितना समय लगेगा?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (ग) केंद्र प्रायोजित योजना 'विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता' जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2005 से कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में यह योजना देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें मध्य प्रदेश के 52 जिले भी शामिल हैं। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत, मांग-प्रेरित और किसान-मित्र विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करना है। इसमें प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रदर्शन भ्रमण, किसान मेला, 'किसान हित समूहों' के सशक्तिकरण और प्रगतिशील किसानों के खेतों में

'फार्म स्कूल' की स्थापना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को मृदा परीक्षण, प्रमाणित बीज, मिनी किट, फसल चक्र, सिंचाई और कीटनाशकों के उपयोग, नई योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है। आत्मा योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि कम से कम 50% लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान होने चाहिए।

आत्मा योजना मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश में आत्मा योजना के तहत उपलब्ध कराई गई जनशक्ति का विवरण निम्नानुसार है: -

(i) **राज्य स्तर**: आत्मा के राज्य नोडल सेल में राज्य नोडल अधिकारी, राज्य समन्वयक, जेंडर समन्वयक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जबकि 'राज्य प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेति) में निदेशक, उप निदेशक, लेखाकार-सह-स्थापना लिपिक और कंप्यूटर प्रोग्रामर शामिल हैं। आत्मा योजना के तहत कार्यान्वित ब्लॉकों की संख्या के आधार पर उप-निदेशकों की तैनाती की जाती है।

(ii) **जिला स्तर**: जिला स्तर पर तैनात जनशक्ति में परियोजना निदेशक (01), उप परियोजना निदेशक (02), लेखाकार-सह-स्थापना लिपिक (01) और कंप्यूटर प्रोग्रामर (01) शामिल हैं।

(iii) **ब्लॉक स्तर**: ब्लॉक स्तर पर तैनात जनशक्ति में ब्लॉक के आकार के आधार पर ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (01), सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (02 से 04) शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर):

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मध्य प्रदेश सहित देश भर में कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) योजना को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों सहित सभी किसानों के बीच नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए एकल खिड़की कृषि ज्ञान, संसाधन और क्षमता विकास केन्द्रों की स्थापना करना है। केवीके की गतिविधियों में, विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए खेत पर परीक्षण करना; किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रंटलाइन प्रदर्शन; ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए किसानों की क्षमता विकास; और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री एवं अन्य प्रौद्योगिकी इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शामिल है। किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए, केवीके द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। केवीके जिला स्तरीय संस्थाएं हैं और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 54 केवीके हैं।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 5000 से अधिक विस्तार कर्मियों को तैनात किया गया है, जो किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं पर सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें मृदा परीक्षण, प्रमाणित बीज, मिनी किट्स, फसल चक्र, सिंचाई और कीटनाशकों का उपयोग, नई योजनाएं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है।